

राजस्थान सरकार

औषधि अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

1. निर्धारित प्रपत्र 19 पर आवेदन।
2. निर्धारित शूल्क चालान से बैंक में जमा करवाकर चालान की प्रथम प्रति।
3. फर्म के मालिक/प्रत्येक भागीदार/का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर हलफनामा, जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो (संलग्न प्रारूप "क" अनुसार) साथ में एक सत्यापित फोटोप्रति (स्टॉम्प के आगे-पीछे की)।
4. फर्म मालिक/भागीदार के स्थाई निवास का प्रमाण यथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र/राशन कार्ड की सत्यापित 2 फोटोप्रति।
5. फर्म के संविधान संबंधित दस्तावेज-पार्टनरशिप फर्म के मामले में नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित पार्टनरशिप डीड की 2 सत्यापित फोटोप्रति।
6. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/कॉम्प्यूटेन्ट व्यक्ति का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हलफनामा जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो। (संलग्न प्रारूप 'ख 1' फार्मासिस्ट के लिये तथा "ख 2" कॉम्प्यूटेन्ट व्यक्ति के लिये) साथ में 1 सत्यापित फोटोप्रति।
7. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/कॉम्प्यूटेन्ट व्यक्ति के स्थाई निवास का प्रमाण यथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र/राशनकार्ड की सत्यापित 2 फोटोप्रति।
8. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा उसकी आगे पीछे की 2 सत्यापित फोटोप्रति एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र व इसकी 2 सत्यापित फोटोप्रति।  
*रजिस्ट्रेशन, लेमिनेशन हटाकर दें।*
9. कॉम्प्यूटेन्ट व्यक्ति के (1) मैट्रिक उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण-पत्र की 2 सत्यापित फोटोप्रति (यदि स्नातक भी है तो डिग्री की 2 सत्यापित फोटोप्रति)। (2) अनुभव प्रमाण-पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर फर्म के मालिक अथवा भागीदार जिससे अनुभव लिया हो द्वारा उस बाबत दिया गया शपथ पत्र जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो। (प्रारूप 'ग' संलग्न है) उक्त फर्म के मूल लाइसेन्सों एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक-एक सत्यापित फोटोप्रति।
10. प्रमाणित किरायेनामे की 2 सत्यापित फोटोप्रति अथवा ऐसा दस्तावेज कि आवेदनकर्ता वैध रूप से संबंधित स्थान का उपभोग करने का पात्र है एवं वर्तमान में किराया अदा करने बाबत प्राप्ति रसीद की 2 सत्यापित फोटोप्रति।
11. दुकान के Key Plan, Elevation व Plan दिखाते हुये ब्ल्यू प्रिन्ट की तीन कॉपी जिस पर फर्म का नाम व पता दर्ज हो तथा दुकान की लंबाई, चौड़ाई का विवरण व क्षेत्रफल लिखा हो। ब्ल्यू प्रिन्ट फर्म के मालिक/भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये हुए हों।
12. रेफ्रिजरेटर के क्रय बिल की 2 सत्यापित फोटोप्रति अथवा अन्य प्रमाणित दस्तावेज।
13. रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट/कॉम्प्यूटेन्ट व्यक्ति के प्रति लाइसेन्स, 2 वर्तमान में लिये गये पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ व 1 अतिरिक्त फोटोग्राफ जिसे आवेदन पत्र फार्म 19 पर चिपका कर औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा मिलान कर सत्यापित किया जाना है। ताकि लाइसेन्सों पर फोटो का सत्यापन किया जा सके।

नोट :-

1. खुदरा लाइसेन्सों के मामले में बिन्दु सं. 9 के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं तथा थोक लाइसेन्सों के मामले में अगर आवेदक अथवा कर्मचारी बिन्दु सं. 8 में दर्शायी गयी योग्यता रखता हो तो बिन्दु सं. 9 के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं तथा ऐसा न होने पर बिन्दु सं. 9 में दर्शाये दस्तावेज प्रस्तुत हों। शेष दस्तावेज सभी आवेदकों के लिये अनिवार्य हैं।
2. उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त भी स्थिति एवं आवश्यकतानुसार तथ्यों की पुष्टिकरण हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 65-ए के तहत अन्य दस्तावेज चाहे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।
3. हलफनामा निर्धारित प्रपत्र में हो तथा संबंधित पैरा व उसके तथ्य जो लागू हों उन्हें ही भरकर 10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर टाईप कराया जावे।
4. लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड फर्म होने की दशा में वर्तमान डायरेक्टर्स के नाम व पते की घोषणा 10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर व प्रारूप 'क' पर आवश्यक संसोधन पश्चात हलफनामों में डायरेक्टर्स द्वारा दिये जावेंगे तथा साथ में मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स एण्ड एसोसिएशन संलग्न किया जावेगा।